भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

सं.411/03-परीक्षा/परीक्षा-1/2021

दिनांकः-29/12/2021

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः वर्ष 2022 का परीक्षा कार्यक्रम।

वर्ष 2022 का परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	परीक्षा	परीक्षा तिथि
1	2022 की एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षा-।	18 से 23 अप्रैल 2022
2	व.प्र.अ. के रूप में पदोन्नति के लिए स.प्र.अ. की प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा	28 सितम्बर 2022
3	सहायक पयवेक्षक के रूप में पदोन्नति हेतु व. लेखापरीक्षकों/व. लेखाकारों की प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा	23 नवम्बर 2022
4	2022 की एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षा-2	14 से 19 नवम्बर 2022

नियंत्रण से परे या प्रशासनिक अनिवार्यताओं के कारण निर्धारित तिथियां बदली जा सकती है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षा की तिथि से ठीक पहले अपेक्षित इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर सकते है और तदनुसार अन्य तैयारियां कर सकते हैं।

यह महानिदेशक(परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय

(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

सं.386/03-परीक्षा/2021 की परीक्षा-1

दिनांकः-14/12/2021

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- एसएएस(सिविल लेखा) या एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा में बैठने के लिए लेखा एवं हकदारी अधिकारियों द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए स्पष्टीकरण।

महोदया/महोदय,

हमें लेखा एवं हकदारी अधिकारियों द्वारा एसएएस (सिविल लेखा) या एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा लिखने की पात्रता/अनुमति के संबंध में अधिकारियों/अभ्यर्थियों के पत्र प्राप्त हो रहें हैं।

2. तद्नुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखा एवं हकदारी अधिकारियों द्वारा एसएएस (सिविल लेखा) या एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा लिखने की पात्रता/अनुमति के संबंध में दिनांक 24/09/2021 के परिपत्र सं. 34/स्टाफ(नि.-1)2021, सं. 1023-स्टाफ(नि.-1)/17/2021 (प्रति संलग्न) में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। किसी विशेष संदेह के मामले में परीक्षा अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।

यह महनिदेशक(परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय

(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासनिकं अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10, बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

संख्या 363 /03-परीक्षा/परीक्षा-। /2021
दिनांक 29/11/2021।

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- अगस्त-सितम्बर 2021 में आयोजित 2021 की एसएएस/आर ए/आई/सीपीडी-।, ।।,एवं ।।। परीक्षा-। के परिणाम।

महोदय/महोदया,

अगस्त-सितम्बर 2021 में आयोजित 2021 की एसएएस/आर ए/आई/सीपीडी-।, ।।,एवं ।।। परीक्षा-। के परिणाम घोषित कर दिए गए है। परिणाम डाउनलोड करने का लिंक https://cagi.azurewebsites.net है जो कि सीएजी की वेबसाइट पर परीक्षा के अन्तर्गत भी उपलब्ध है।

क्षेत्रीय कार्यालय, संबंधित कार्यालय के परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के लॉगइन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर परिणाम देख/डाउनलोड कर सकते हैं।

यह महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय

(हीरक बागची)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2021 का परिपत्र सं.05

सं.354/11-परीक्षा/स्टेनो के लिए स्पीड टेस्ट/2021

दिनांक-02/11/2021

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- 7वें सीपीसी परिदृश्य में अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को आशुलिपि में 100/120 शब्द प्रति मिनट पर अर्हक गति उत्तीर्ण करने पर दी जाने वाली अग्रिम वेतनवृद्धि के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को आशुलिपि में 100/120 शब्द प्रति मिनट पर अर्हक गति उत्तीर्ण करने पर दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि को विनियमित करने के लिए 7वें सीपीसी परिदृश्य में दिनांक 24/07/2020 के का.ज्ञा. फा.सं. 1/7/2017-स्था(पे-1) द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किए और जिसे दिनांक 31/08/2021 के मुख्यालय पत्र सं.191-स्टाफ हक (नियमावली) द्वारा परिपत्रित किया गया था।

2. आशुलिपिकों के लिए गति परीक्षण स्थानीय रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में उनकी आवश्यकतानुसार वर्ष में एक बार सितम्बर महीने में पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। प्रश्न पत्र स्थानीय स्तर पर एक अधिकारी, जो उप-महालेखाकार/उप-निदेशक के पद से नीचे का न हो, द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रिम वेतन वृद्धि संस्वीकृत की जा सकती है। आगे स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो, स्टाफ विंग से प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(मनीष कुमार)
महानिदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

सं.300/18-परीक्षा/एएओ से एस.ए.ओ की पदोन्नति/2020
दिनांक-29/09/2021

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- व.लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए एएओ की प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा।

महोदया/महोदय,

व. लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए एएओ की प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा का आयोजन 27/10/2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 01 बजे तक किया जाएगा। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा तय की जाने वाली स्थानीय स्थिति के अनुसार परीक्षा, ऑफलाइन/ऑनलाइन/एमएस टीम एप से आयोजित की जा सकती है। भारत सरकार/राज्य सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी प्रोटोकोल/दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

2. अभ्यर्थी अपने कार्यालय के स्थान से ही परीक्षा में बैठेगें बशर्ते कि वहां आईए एवं एडी का कार्यालय हो। अभ्यर्थी और कार्यालय तद्नुसार एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे।

3. परीक्षा के प्रश्न-पत्र विभागाध्यक्ष/नामित अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत ई-मेल पर 26 अक्तूबर 2021 को दोपहर 12 बजे तक भेज दिए जाएगें। यदि किसी को 26 अक्तूबर 2021 को पूर्वाह्न 02 बजे तक प्रश्न पत्र प्राप्त न हो तो वह अद्योहस्ताक्षरी को तुरन्त संपर्क कर सकते हैं।

4. वाणिज्यिक, एफ एवं सी (पी एवं टी), सिविल, रेलवे, रक्षा, लेखा के प्रश्न पत्र सभी कार्यालयों को प्रदान किए जाएंगे। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कार्यालय को किसी प्रश्न पत्र(पत्रों) की आवश्यकता नही हो तो वह इसे अनदेखा कर सकते हैं।

5. परीक्षा की समाप्ति के बाद उत्तर कुंजी प्रदान की जाएगी।

यह महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय

(हीरक बागची)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)
saoexam@cag.gov.in.9899833460

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली– 110124

परीक्षा अनुभाग

सं.263/03-परीक्षा/परीक्षा-। /2021
दिनांक:11.08.2021

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल मानक सूची के अनुसार)

विषय: **वर्ष 2021 की परीक्षा- । के एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-।, ॥ एवं ॥। की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र।**

महोदया/महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्ष 2021 की परीक्षा-। के एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-।, ॥ एवं ॥। परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र http://cagi.azurewebsites.net/#no-back–button या सीएजी पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि तुरन्त प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। यदि प्रवेश पत्र में कोई विसंगति है, तो कृपया सुधार हेतु **12/08/2021 को सायं 5 बजे** तक ईमेल द्वारा saoexam@cag.gov.in पर तुरन्त सूचित करें।

भवदीय,

11/8/21
(हीरक बागची)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

संख्या 254/03/परीक्षा/परीक्षा-I/2021

दिनांक 28/07/2021

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख

(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- वर्ष 2021 परीक्षा-I की एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I,II एवं III की परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट।

महोदया/महोदय,

दिनांक 23/07/2021 को जारी डेट शीट को रद्द करते हुए वर्ष 2021 की परीक्षा-I की एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I,II एवं III परीक्षाओं को पुनः निर्धारित किया गया है जो दिनांक 18/08/2021 से 26/08/2021 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की संशोधित डेट शीट निम्नानुसार हैः-

परीक्षा तिथि	दिन	पूर्वाह्न सत्र (10 से 12 बजे तक) (पीसी -I, 10 से 12:30 बजे तक)	अपराह्न सत्र (02 बजे से 04 बजे तक)
18/08/2021	बुधवार	पीसी- 8,9,10,11एवं 12	सी-1,सी 3 एवं सी 5
20/08/2021	शुक्रवार	पीसी-16,17,18,19,एवं 20	पीसी-27,आई ई-1 एवं आरएई-1
23/08/2021	सोमवार	पीसी-3 एवं आई ई-3	पीसी–13,14 एवं 15
24/08/2021	मंगलवार	पीसी-2 एवं आरएई-2	सी 2, सी 4 एवं सी 6
25/08/2021	बुधवार	पीसी-5,6 एवं 7	पीसी-21,22,23,24,25 एवं 26
26/08/2021	बृहस्पतिवार	पीसी-1 एवं आई ई-2	पीसी-4, एवं आई ई-4

2. सभी संबंधितों को उचित रूप से सूचित किया जा सकता है।

3.यह महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

28/7/21

(हीरक बागची)

व.प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

संख्या 251/03-परीक्षा/परीक्षा-।/2021
दिनांक 20/07/2021

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- वर्ष 2021 की परीक्षा-। एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षा के पंजीकरण तथा ईआरओ/एचओडी अनुमोदन प्रक्रिया के पुनः खोलने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

वर्ष 2021 की परीक्षा-। एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-।,।। तथा ।।। से संबंधित दिनांक 28/05/2021 के पत्र संख्या 191/03-परीक्षा/परीक्षा-।/2021 के क्रम में, यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021 की परीक्षा-। के एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षा का पंजीकरण तथा ईआरओ सत्यापन तथा विभागाध्यक्ष की अनुमोदन प्रक्रिया पुनः 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ होगी तथा एप्लीकेशन विन्डो दिनांक 26.7.2021 से 30.7.2021 तक खुली रहेगी। अभ्यार्थियों का पंजीकरण, यदि कोई हो, ईआरओ सत्यापन व विभागाध्यक्ष के अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ-साथ किया जा सकता है। सम्पूर्ण पंजीकरण/सत्यापन/अनुमोदन की प्रक्रिया 30/07/2021 तक पूर्ण की जानी है।

यह महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया जाता रहा है।

भवदीय,

(हीरक बागची)
व.प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124
<u>परीक्षा अनुभाग</u>

संख्या 241/03-परीक्षा/परीक्षा-।/2021
दिनांक 09/07/2021

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- एसएएस (सिविल लेखा) से एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) और इसके विपरीत शाखा में अन्तरण की अनुमति

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के दिनांक 15/06/2021 के पत्र सं. 202/03-परीक्षा/परीक्षा-।/2021 के क्रम में यह कहा जाता है कि 2021 की एसएएस परीक्षा-। के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से एसएएस (सिविल लेखा) से एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) और इसके विपरीत शाखाओं में अन्तरण के लिए अभ्यार्थियों के प्रेषित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

इस संबंध में, यह कहा जाता है कि लेखा एवं हक. कार्यालयों से सिविल लेखा से सिविल लेखापरीक्षा और विपरीत शाखाओं में अन्तरण के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन परीक्षा अनुभाग के दिनांक 17/09/2021 के 2019 के परिपत्र सं. 19 के अनुसार निपटाए जाने चाहिए और इन्हें 2021 की परीक्षा-। के लिए मुख्यालय को भेजने की आवश्यकता नही है। अतः लेखा एवं हक के अभ्यर्थियों के एसएएस (सिविल लेखा) या एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) में बैठने की अनुमति मौजूदा नियमों/ निर्देशों के अनुसार उनके विकल्प के आधार पर दी जा सकती है, जब तक पंजीकरण खुला है।

यह महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

9/7/21

(हीरक बागची)
व.प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110124

परीक्षा अनुभाग

सं. 233/08/परीक्षा/संवर्ग पर्नसंरचना/2020
दिनांक: 01-07-2021

सेवा में,
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: सहायक पर्यवेक्षक 2021 के रूप में पदोन्नति हेतु व.लेखापरीक्षको/व.लेखाकारों की प्रथम अन्त प्रशिक्षण परीक्षा।

महोदया/महोदय,

परीक्षा विंग के दिनांक 01-04-2021 के पत्र सं. 143/03-परीक्षा/परीक्षा-I/2021 द्वारा जारी वर्ष 2021 के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, सहायक पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति हेतु वरिष्ठ लेखापरीक्षको/व. लेखाकारो की वर्ष 2021 के लिए प्रथम अन्त प्रशिक्षण परीक्षा 7 जुलाई 2021 को प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक आयोजित की जाएगी। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए,परीक्षा आफलाइन/आनलाइन/एमएस टीम के माध्यम से आयोजित की जा सकती है, जिसका निर्णय संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। कोविड -19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी प्रोटोकाल/दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

2. (क) अभ्यर्थी वही से परीक्षा में बैठेंगे जहाँ पर वह नियुक्त हैं इस शर्त के साथ कि वहाँ आईए एवं एडी का कार्यालय है। अभ्यर्थी और कार्यालय तद्नुसार एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे।

(ख) परीक्षा के प्रश्न पत्र विभागाध्यक्ष/नामित अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत ई-मेल आईडी पर 6 जुलाई 2021 को दोपहर 12 बजे तक भेज दिए जाएंगें। यदि किसी को 6 जुलाई 2021 को सायं 2 बजे तक प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं हो तो वह तुरन्त अद्योहस्ताक्षरी को संपर्क करेंगें।

(ग) लेखापरीक्षा और लेखा दोनों के प्रश्न पत्र सभी कार्यालयों को प्रदान किए जाएंगें। वे अपनी आवश्यकतानुसार डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कार्यालय को प्रश्न पत्र (पत्रों) की आवश्यकता नही है, तो वह इसे अनदेखा कर सकते हैं।

(घ) उत्तर परीक्षा की समाप्ति के बाद प्रदान किए जाऐंगें।

यह महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

(हीरक बागची)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)
मो. 9899833460
saoexam@cag.gov.in

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110124

परीक्षा अनुभाग

सं. 202/03/परीक्षा/ परीक्षा-I/2021
दिनांक: 15-06-2021

सेवा में,
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: वर्ष 2021 की एस ए एस परीक्षा-I में शाखा अंतरण।

महोदया/महोदय,

वर्ष 2021 की एसएएस परीक्षा-I में शाखा अंतरण के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से अभ्यर्थियों के निवेदनों की सिफारिशें प्राप्त हो रही हैं।

इस संबंध में, यह कहा जाता है, चूंकि वर्ष 2021 की एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I,II एवं III परीक्षा- I की पंजीकरण प्रक्रिया 07-06-2021 से प्रारंभ हो चुकी है, अत: क्षेत्रीय कार्यालयों से शाखा अंतरण के संबंध में केवल 18-06-2021 तक प्राप्त सिफारिशों को ही वर्ष 2021 की परीक्षा-I के लिए माना जाएगा।

यह महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110124
परीक्षा अनुभाग

संख्या 191/03-परीक्षा/परीक्षा-I/2021
दिनांक: 28/05/2021

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: वर्ष 2021 की परीक्षा –I में एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I,II एवं III परीक्षाएं।

महोदया/महोदय,

वर्ष 2021 की परीक्षा –I में एसएएस/आरए/आई/सीपीडी- I,II एवं III परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 7 जून 2021 से प्रारंभ होगी। परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम की सूचना यथासमय दी जाएगी।

"पंजीकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए एक ग्रुप अधिकारी को परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित किया जा सकता है। नए अभ्यर्थियों का मूल डाटा अर्थात् नाम, जन्म तिथि, वर्ग इत्यादि जैसा सेवा पंजिका में दर्ज है, ईआरओ द्वारा पंजीकरण फार्म के पहले भाग में प्रविष्ट किया जा सकता है। इसके बाद, नए अभ्यर्थी पंजीकरण फार्म का दूसरा भाग स्वयं पूरा करेंगे। मौजूदा अभ्यर्थी पंजीकरण फार्म का दूसरा भाग सीधे ही भरेंगे। ईआरओ आनलाइन पंजीकरण फार्म में दर्ज डाटा को सत्यापित और मान्य करेगा ताकि विभागाध्यक्ष उनकी अभ्यर्थिता को मंजूरी दे सके। **डाटा की सत्यता की जिम्मेदारी पूरी तरह से क्षेत्रीय कार्यालयों की है।** विभागाध्यक्ष की स्वीकृति सहित पंजीकरण की प्रक्रिया जितना जल्द संभव हो पूरी की जाए। अभ्यर्थी यह ध्यान में रखें कि पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थिता की वापसी की प्रणाली को हटा दिया गया है।

वह क्षेत्रीय कार्यालय जो नए अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण पूर्ण नही कर पाए हैं वह जितना जल्दी हो सके एमएस टीम/आफलाइन प्रशिक्षण पूरा करा सकते हैं। तथापि, केवल कठिन परिस्थिति में, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले पूर्ण कर सकते हैं। अनिवार्य पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा अनुभाग को प्रदान किया जाएगा, जिसकी विफलता पर ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी।

वह कर्मचारी जो विभाग में ही अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, वह अपनी सहमति/आवेदन अपने कार्यरत कार्यालयों के प्रशासन को सूचित करते हुए सीधा अपने मूल कार्यालयों में जमा करवा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी पंजीकरण प्रक्रिया/अन्य परीक्षा से संबंधित मामलों को समय पर पूरा करने के लिए परीक्षा से संबंधित पत्राचार सीधा अपने मूल कार्यालय से करेंगे।

पंजीकरण के लिए लिंक http://cagi.azurewebsites.net. है। ईआरओ और एचओडी को पंजीकरण/अनुमोदन हेतु यूजर आई डी एवं पासवर्ड भेज दिया जाएगा।

सभी पत्राचार ईमेल आईडी saoexam@cag.gov.in. के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, तीव्र/समय पर सूचना के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों के व.ले.प.अ./स.ले.प.अ जो परीक्षा के मामले देखते है, उपरोक्त ईमेल आईडी/ मोबाइल न. 9899833460 पर व.प्र.अ (परीक्षा) के साथ अपना मोबाइल नंम्बर/ईमेल आईडी साझा कर सकते है।

भवदीय,

sd/-
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110124

परीक्षा अनुभाग

2021 का परिपत्र संख्या 04

(केवल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए)

संख्या 188/14-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/18
दिनांक: 10/05/2021

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: विभागीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2020 का समावेश।

महोदया/महोदय,

"लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम (संशोधित) 2020" 5 अगस्त 2020 से प्रभावी है। अत: लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 और/या पूर्व संस्करणों के स्थान पर लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2020 को तुरन्त प्रभाव से सभी विभागीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

यह सभी संबंधित के संज्ञान में लाया जाए।

भवदीय,

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110124

<u>परीक्षा अनुभाग</u>

<u>2021 का परिपत्र सं.03</u>

(केवल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए)
संख्या 159/03-परीक्षा/अतिरिक्त अवसर/2016 खण्ड.।
दिनांक: 13/04/2021

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः आरए/आई/सीपीडी-। एवं ।। परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त अवसर।

महोदया/महोदय,

मौजूदा प्रणाली के तहत आरए/आई/सीपीडी परीक्षा पास करने के लिए अनुमत अवसरों की संख्या 6 (छः) हैं। अवसर तब गिना जाता है जब एक अभ्यर्थी एक विशिष्ट परीक्षा के लिए पंजीकरण करता है।

कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन/सतत व्यवसायिक विकास, चरण-। एवं ।। परीक्षाएं (आरए/आई/सीपीडी-। एवं ।।) वर्ष 2020 में आयोजित नही की जा सकी थी। इसके अलावा, इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों के साथ साथ सेवा संघों से भी विभिन्न आधारों पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है।

उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत, सक्षम प्राधिकारी ने आरए/आई/सीपीडी-। एवं ।। परीक्षाओं के मौजूदा अभ्यर्थियों, जिन्होंने सभी अनुमत छः अवसर समाप्त कर दिए है, किन्तु परीक्षा पास नही कर पाए, के लिए **एकल अवसर** के रूप में **दो अतिरिक्त अवसरों** का लाभ लेने की अनुमति दी है। इन **दो** अतिरिक्त अवसरों का लाभ **दो वर्षो (2021 एवं 2022) अर्थात 2021 की परीक्षा-। से चार परीक्षाओं में लिया जाना चाहिए।**

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110124

<u>परीक्षा अनुभाग</u>

सं. 143/03-परीक्षा/परीक्षा-I/2021
दिनांक 01-04-2021

सेवा में,
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: 2021 का परीक्षा कार्यक्रम

महोदया/महोदय,

2021 का परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	परीक्षा	परीक्षा तिथि
1.	एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-2021 की परीक्षा –I	14 से 19 जून 2021
2.	सहायक पर्यवेक्षकों के रूप में वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों की पदोन्नति के लिए पहली प्रशिक्षणान्त परीक्षा	7 जुलाई 2021
3.	व.ले.अ/व.ले.प.अ के रूप में स.ले.अ/स.प्र.अ की पहली प्रशिक्षणान्त परीक्षा	6 अक्तूबर 2021
4.	सहायक पर्यवेक्षकों के रूप में व. लेखापरीक्षकों/व. लेखाकारों की पदोन्नति के लिए दूसरी प्रशिक्षणान्त परीक्षा	17 नवम्बर 2021
5.	एसएएस/आरए/आई/सीपीडी 2021 की परीक्षा –2	29 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2021

तिथियों में, हमारे नियंत्रण से परे या प्रशासनिक अनिवार्यताओं कारण, परिवर्तन हो सकता है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे परीक्षा की निर्धारित तिथि से पूर्व अपेक्षित इन हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लें और तदनुसार अन्य तैयारियां करें।

यह महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

(हीरक बागची)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

संख्या 77/09 -परीक्षा/वार्षिक कार्यक्रम/पूरक परीक्षा/2020
दिनांक 12/03/2021

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- दिसम्बर 2020 में आयोजित एसएएस/ आरए/आई/सीपीडी-। एवं ।। मुख्य परीक्षा की पूरक परीक्षा का परिणाम।

महोदया/महोदय,

दिसम्बर 2020 में आयोजित एसएएस/ आरए/आई/सीपीडी-। एवं ।। मुख्य परीक्षा की पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम डाउनलोड करने का लिकं http://cagi.azurewebsites.net है जो कि सीएजी की वेबसाइट पर परीक्षा के अन्तर्गत भी उपलब्ध है।

क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित कार्यालय के परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओं) के लाग इन आईडी और पासर्वड का प्रयोग कर परिणाम देख/ डाउनलोड कर सकते है।

यह महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया गया है

भवदीय

(हीरक बागची)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली– 110124

परीक्षा अनुभाग

2021 का परिपत्र संख्या 02

(केवल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए)
सं. 58/14-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/2018
दिनांक: 3.मार्च.2021

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल मानक सूची के अनुसार)

विषय: अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के पीसी-3 पेपर, सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धान्तिक) का संशोधित पाठ्यक्रम

महोदया/महोदय,

विभागीय परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समय-समय पर बदलती हुई परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाता है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है, कि सक्षम प्राधिकारी ने अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के पीसी-3, सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धान्तिक) पेपर के पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित पाठ्यक्रम संलग्न है जो 2021 की परीक्षा-2 से लागू होगा।

भवदीय,

हस्ता/-

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

एसएएस परीक्षा के पीसी-3 पेपर, सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धान्तिक) का संशोधित पाठ्यक्रम 2021 की परीक्षा-2 से लागू

1. पीसी-3 सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धान्तिक)

1.1. सोफ्टवेयर एवं हार्डवेयर घटक:

1.1.1.कम्पयूटर और उनके घटकों का परिचय- हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी डिवाइसिस इत्यादि

1.1.2.आपरेटिंग सिस्टम, उसके मुख्य कार्य

1.1.3.मूल नेटवर्क अवधारणाएं– लैन/वैन/इन्टरनेट, सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऐंडप्वाइंट डिवाइसिस

1.1.4.क्लाउड कम्पयूटिंग– मूल अवधारणाएं (आईएएएस, पीएएएस, एसएएएस)

1.1.5.ईआरपी सिस्टम्स- मूल अवधारणाएं

1.2. डाटाबेस सिस्टमस

1.2.1.डाटा और डाटाबेस- मूल अवधारणाएं

1.2.2.रिलेशनल डाटाबेस (इंटेग्रिटी कन्सट्रेंटस – प्राइमरी, फौरन कीज, रिलेशनशिप्स)

1.2.3.ज्वाइन्स, वियूज, डाटा मेनिपुलेशन इत्यादि की अवधारणाएं

1.3. भारत में सूचना प्रणालियों का शासन और प्रबन्धन

1.3.1.आईटी अधिनियम 2000 (और उत्तरवर्ती संशोधन)

1.3.2.आईटी (प्रासंगिक सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा और सूचना नियम- 2011)

1.3.3.भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्ल्यू)

1.3.4.राष्ट्रीय ई गर्वनेंस योजना (एनईजीपी) और संबंधित एमएमपीज (मिशन मोड परियोजनाएं)

1.3.5.डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ई-क्रान्ति मिशन

1.4. सूचना परिसम्पत्तियों की सुरक्षा

1.4.1.सूचना सुरक्षा के लिए मूल मापदंड- गोपनीयता, अखंडता और नान रिप्युडिएबिलिटी, डाटा की उपलब्धता

1.4.2.गोपनीयता सिद्धान्त, व्यक्तिगत रूप से पहचानने योग्य सूचना (पीआईआई) के सिद्धान्त

1.4.3.फिजिकल एक्सेस और एनवायरन्मेंट कन्ट्रोल

1.4.4.सूचना प्रणाली अटैक विधियां और ओडब्ल्यूएएसपी मुख्य 10 वल्नरेबिलिटिज

1.5. सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण प्रक्रिया

1.5.1.आईटी वातावरण में लेखापरीक्षण पर सीएजी के स्थायी आदेश (अगस्त 2020)

1.5.2.नियंत्रणों के प्रकार (नियंत्रण उद्देश्य और उपाय, सामान्य और आईएस विशिष्ट नियंत्रण)

1.5.3.सीएएटीज, निरन्तर लेखापरीक्षण तकनीकें

1.6. सूचना प्रणाली अधिग्रहण, विकास और कार्यान्वयन

1.6.1. सिस्टम विकास जीवन चक्र (एसडीएलसी) चरण

2. प्रस्तावित पठन सामग्री/संदर्भ:

2.1. आईटी वातावरण में लेखापरीक्षण पर सीएजी के स्थायी आदेश

2.2. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए आईटी लेखापरीक्षा पर डब्ल्यूजीआईटीए-आईडीआई नियमपुस्तिका

2.3. 1.3 के लिए, अधिनियमों/नियमों को पठन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110124

परीक्षा अनुभाग

2021 का परिपत्र संख्या 01

(केवल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए)

संख्या 37/14-परीक्षा20/पाठ्यक्रम संशोधन/18
दिनांक: 09-02-2021

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: सतत् व्यवसायिक विकास परीक्षा स्तर –III (सीपीडी-III) के सी-6 पेपर का संशोधित पाठ्यक्रम।

महोदया/महोदय,

यह सूचित किया जाता है कि राजस्व लेखापरीक्षा और सतत् व्यवसायिक विकास परीक्षाओं के संशोधित पाठ्यक्रम से संबंधित परीक्षा विंग के दिनांक 27 अगस्त 2019 के 2019 के परिपत्र सं.17 में आंशिक संशोधन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सतत् व्यवसायिक विकास परीक्षा स्तर–III (सीपीडी-III) के सी-6, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा पेपर के पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाता है। संशोधित पाठ्यक्रम संलग्न है जो कि 2021 की परीक्षा-1 से लागू होगा।

2. अन्य परीक्षाओं/पेपरों के पाठ्यक्रम अर्थात् आरएई, सी-1,सी-2, सी-3, सी-4 और सी-5 जैसा पूर्वोक्त 2019 के परिपत्र सं.17 द्वारा प्रकाशित किया गया था, यथावत रहेगा।

भवदीय,

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

सीपीडी-III का पेपर सी - 6 सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम

2021 की परीक्षा -1 से लागू होगा

1. सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

1.1. सूचना प्रणाली अधिग्रहण, विकास और कार्यान्वयन

1.1.1. परियोजना प्रबंधन –योजना, क्रियान्वयन, निगरानी और समापन

1.1.2. शासन संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व

1.1.3 प्रणाली विकास लाइफ साइकिल (एसडीएलसी) चरण

1.1.4 साफ्टवेयर विकास पद्धति

1.1.5 हार्डवेयर/साफ्टवेयर अधिग्रहण प्रक्रिया और कदम, माडल आरएफपी (एमईआईटीवाई)

1.1.6 आईटी सेवा प्रबंधन (आईटीएसएम)

1.1.7.1 व्यवसाय निरन्तरता नियोजन (बीसीपी)

1.2 शासन और सूचना प्रणाली का प्रबंधन

1.2.1 संरचना की समीक्षा – सीओबीआईटी संरचना, आईएसओ 27000 क्रम (सुरक्षा), आईएसओ 38500 क्रम (आईटी गर्वनेंस)

1.2.2 आईटी अधिनियम 2000 (और संशोधन) और उसके तहत जारी नियम

1.2.3 आधार अधिनियम और उसके तहत जारी विनियम

1.2.4 राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश

1.2.5 डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और ई-क्रान्ति मिशन

1.3. सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण प्रक्रिया

1.3.1 2020 सीएजी के आईटी वातावरण में लेखापरीक्षण पर स्थायी आदेश

1.3.2 जोखिम आधारित आईएस लेखापरीक्षा नियोजन

1.3.3 नियंत्रणों के प्रकार

1.3.3.1 नियंत्रण उद्देश्य और उपाय

1.3.3.2 सामान्य और आईएस-विशिष्ट नियंत्रण

1.3.4 आईएस लेखापरीक्षा प्रक्रिया कार्य

1.3.5 डाटा विश्लेषण –सीएएटी सतत लेखापरीक्षण तकनीकें

1.4 परिसंपत्तियों का संरक्षण

1.4.1 पहचान और एक्सेस प्रबंधन

1.4.2 नेटवर्क और एंड –प्वाइंट सुरक्षा

1.4.3 डाटा वर्गीकरण

1.4.4 डाटा एनक्रिपशन और एनक्रिपशन संबंधी तकनीकें, पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई)

1.4.5 सूचना प्रणाली आक्षेप विधि और तकनीके, ओडब्ल्यूएएसपी टाप 10 संवेदनशीलताएं

1.4.6 सुरक्षा जांच उपकरण और तकनीकें

1.4.7 सुरक्षा निगरानी उपकरण और तकनीकें

1.4.8 घटना प्रतिक्रिया प्रबंधन

2. प्रस्तावित पठन सामग्री/संदर्भ

2.1 आईएसएसीए द्वारा सीओबीआईटी संरचना, आईएसओ 27001 और आईएसओ 38500 का विहंगावलोकन

2.2 सीएजी के आईटी वातावरण में लेखापरीक्षण पर स्थायी आदेश

2.3 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए आईटी लेखापरीक्षा पर डब्ल्यू जीआईटीए – आईडीआई हैंडबुक

2.4 1.2 के लिए अधिनियमों/नियमों को पठन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)